

कानून बन गया जो उसको ट्रेन से उतारा गया। अगर टिकट कलेक्टर के अनुसार वह बिना टिकट के थे तो उसको जेल भेजता लेकिन ट्रेन से उतारने का अधिकार उसको किसने दिया था? इसके लिये मैं चाहता हूँ कि एक उच्च स्तरीय कमीशन बिठाया जाए। इसकी इन्क्वायरी कर के देखा जाए कि एक सैनिक के साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों किया गया। जो सैनिक हमारे मुल्क की आजादी को कायम रखने के लिये हमारे मुल्क की शांति को कायम रखने के लिए इतना खन दे रहे हैं, उनके अंग तक कट गये उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया इस पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करनी चाहिये। एक कोड ऑफ कंडक्ट मिलना चाहिये कि ऐसे लोगों कैसा व्यवहार करना चाहिये। मैं आपके माध्यम से रेल मंत्रालय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि इस पर वह विचार करें।

#### Incidents of women being barred from entering temples

**श्रीमती अमृता प्रीतम (नाम-निर्देशित) :** मैडम, नम्बर 2967 मेरा सवाल था, 8 मार्च को अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया, उसी की शोनी में कहना चाहती हूँ कि यह महज एक रस्म न हो कुछ बुनियादी कदम उठाये जाएं। हमारे कुछ मन्दिरों में जहाँ औरतों के जाने पर पाबन्दी है यह हमारी जम्हूरियत के निजाम पर बहुत बड़ा इल्जाम है। मैंने सवाल किया था कि क्या इसे गलत करार देने के लिये कोई कानून लागू किया जाएगा। इसके जवाब में 23 मार्च को माननीय मंत्री श्रीमती मारग्रेट अल्वा ने लिखित जवाब दिया है कि किसी पूजा के स्थान पर औरत के जाने पर पाबन्दी है ऐसी कोई इत्तला नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट्स से भी नहीं और किसी वालेंटायर ऑर्गेनाइजेशन से भी नहीं, इस लिए कोई कदम उठाये जाएं यह सवाल ही पैदा नहीं होता। आज यह सवाल आमाम की अखबारों में बहुत बड़ा सवाल बन गया है और आमाम की जिस लेखिका

समारोह समिति की 60 बांचेज है उसकी ओर से बारपेटा के कीर्तन घर में जा कर एक मैमोरेडम दिया गया कि औरतों पर से यह पाबन्दी हटा ली जाए। मैं खुद इस मन्दिर में गई थी यह देखने के लिए 500 साल पहले जिन औरतों ने उस पूजा स्थान की सेवा शुरू की थी उस वंश की औरतें आज तक 500 साल से उस मन्दिर की परिक्रमा में बैठी है और उन्हें भीतर पूजा स्थान पर जाने की इजाजत नहीं है। मैं चाहती हूँ कि इस बात को गंभीरता से लिया जाए और कानूनन इसे गलत करार दिया जाए। आपकी जानकारी के लिए सिर्फ तीन पंक्तियां उस समारोह के खत से जो मेरे पास सामने है उससे पढ़ना चाहती हूँ—

“You have learnt well that here at the Barpeta Kirtan Ghar (Temple) women are debarred from entry and our organisation, to press for the demand for entry, went to submit an appeal to the Temple authority and the delegation was insulted and even physically hurt by conservative Temple protestants.”

**SHRI DHARANIDHAR BASUMATARI (Assam)** I fully associate with that.

**श्री चतुरानन मिश्र (बिहार) :** उप-सभापति महोदया, आप को भी कुछ कहना चाहिये कि सरकार इसके लिए कुछ करे।

**उपसभापति :** अगर मैं इसकी अनुमति न देती तो यह सवाल उठता था कि मैं इससे सहमत नहीं हूँ (व्यवधान) मैं इससे सहमत हूँ।

**श्री चतुरानन मिश्र :** यह तो मैं जान रहा हूँ कि आप इससे सहमत हैं आप सरकार से कहिये कि वह इस पर एक्शन ले।

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी (मध्य प्रदेश) :** उपसभापति महोदय, अमृता प्रीतम जी ने जब यह सवाल उठाया था तो सरकार ने कहा कि हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। अब जानकारी के आधार पर जांच होनी चाहिये। इस तरह की व्यवस्था देश में कहीं भी चले कि महिलाएं मन्दिर में नहीं जा सकतीं तो यह व्यवस्था गलत है। उसको बदलने के लिए कानून की जरूरत हो तो कानून से या समाज की भावना को जागृत कर के यह सम्भव है तो उसके लिये यह प्रयत्न होना चाहिये।

**उपसभापति :** सरकार इस पर ध्यान दे ऐसा मैं सरकार से कहना चाहती हूँ।

**SHRI DHARANIDHAR BASUMATARI:** Madam, Mahatma Gandhi himself failed. I know it very well.

**THE DEPUTY CHAIRMAN:** This is an important matter. The Government should look into it immediately.

**SHRI KAPIL VERMA (Uttar Pradesh):** Take action also.

**THE DEPUTY CHAIRMAN:** When I say that Government should look into it, it is for action only.

**SHRI CHIMANBHAI MEHTA (Gujarat):** Looking into is not enough.

**SHRI KAPIL VERMA:** Looking into does not mean action.

**THE DEPUTY CHAIRMAN:** Looking into and taking necessary action.

**SHRI CHIMANBHAI MEHTA:** That is right.

**SHRI KAPIL VERMA:** That is right.

**Need to confer the status of a full-fledged University on Jamia Millia Islamia**

**DR. MOHD. HASHIM KIDWAI (Uttar Pradesh):** Madam, through

you I want to draw the attention of the Government to the very genuine and overdue just demand that the status of a full-fledged university be conferred on the Jamia Millia Islamia. One very important part or the item of the historic non-cooperation movement the unarmed rebellion of the Indian masses against the British Government during the years 1919 and 1922 was the boycott of educational institutions which received Government aid and the establishment of national educational institutions quite independent of Government control. The basic aim of these institutions was to inculcate among its students the national spirit that is the great spirit to serve the motherland and work for its liberation. Jamia Millia Islamia was one of the great national institutions founded on October 1928 at Aligarh. In response to the clarion call of Gandhi Ji, the legendary Ali brothers and Maulana Azad, 200 brave and patriotic students of AMU college headed by Mr. Sayyed Noorullah, the then Vice-Chairman of the College Union, left the college and joined the Jamia Millia Islamia as the national Muslim University which had been inaugurated by the renowned Muslim theologian and veteran national leader Sheikh-ul-Hind Maulana Mahmood Hasan, Principal of the Darul Uloom, Deoband. Among those who left the AMU College to join the national Muslim university at Jamia Millia were Shafiqur Rahman Kidwai and the great Communist leader, Dr. Ashraf. Dr. Zakir Hussain after resigning from the post of students tutor had also joined the staff of Jamia Millia. Mohammad Ali was its first Vice-Chancellor, while Hakeem Ajmal Khan was its first Chancellor.

The Jamia was shifted to Delhi in 1926 at the instance of Dr. Zakir Hussain, and from that year till he took over as Vice-Chancellor of the Muslim University in October 1948, Dr. Zakir Hussain remained its Vice-Chancellor.